झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सचिवालय

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

राँची,दिनांक–15.01.2019

झारखंड राज्य में शिक्षण संस्थान एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को 10 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। --रघुवर दास, मुख्यमंत्री

झारखंड राज्य में शिक्षण संस्थान एवं सरकारी नौकरियों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को 10 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में झारखंड राज्य के द्वारा भी राज्य के शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में इस आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार की नौकरियों/ शैक्षणिक संस्थानों जिन में बहाली/ नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी, 2019 के पश्चात प्रारंभ होगी , उन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

यह 10 फीसदी आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50 फीसदी आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

================

#TeamPRD(CMO